41

Factory Manager.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: i. 10th Class Pass from a recognised Board or equivalent ii. A certificate/diploma in catering from recognised Institute. iii. One year's experience in Tea or Coffee making in canteen or recognised Institution. iv. A Skill test for cooking including maintenance of hygienic etc. shall be conducted Note 1.- The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidate belong to the Scheduled Castes or Schedules Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to theses communities possessing the requisite experience are not likely to available to fill up the vacancies reserved for them. Note 2.- Vacancies for direct recruitment in canteen shall be circulated simultaneously to the local employment exchange and other offices and establishments of the Central Govt where departmental canteens are functioning.	Not applicable	Two years	Direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for probation and confirmation consisting of.-** 1. Additional Director or Scientist 'E', the Central Water and Power Research Station - Chairman 2. Scientist 'D' or Scientist 'C', the Central Water and Power Research Station - Member 3. A Group 'A' officer from some other Department of the Central Government - Member 4. Chief Administrative Officer or Administrative Officer, the Central Water and Power Research Station - Member	Not applicable

[F. No. 2/1/2006-E.II]

S. K. KATARIA, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

सा.का.नि. 121.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (कारखाना प्रबंधक) भर्ती नियम, 1965 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में कारखाना प्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, कारखाना प्रबंधक भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

42.

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कारखाना प्रबंधक	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड -3, 15600-39100 रु. +ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक (केंन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्मजीव विज्ञान में या औषधीय रसायन विज्ञान में मास्टर। (ii) मानव उपयोग के जैविक उत्पादों के विनिर्माण और परीक्षण में एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :-** (i) कुशल और अकुशल मजदूरों को संभालने में तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव ;	लागू नहीं होता	एक वर्ष

43
Factory Manager

(ii) रासायनिक इंजीनियरी में डिप्लोमा और उपकरणों के निर्माण का ज्ञान ; (iii) भंडार लेखा का तीन वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।		

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण 1 :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी – (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता ।	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. ए-12018/09/14-ई पी आई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th June, 2016

G.S.R. 121.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli (Factory Manager) Recruitment Rules, 1965 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Factory Manager in the Central Research Institute, Kasauli, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Factory Manager, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band, grade pay and pay scale.**—The number of said post, its classification pay band, grade pay and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No persons,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the scheduled castes, the scheduled tribes, the other backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Factory Manager.	1* (2016) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs.5400.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	**Essential:** (1) Master of Science in Microbiology or in Pharmaceutical Chemistry from a recognised University or Institute. (2) One year experience in the manufacturing and testing of biological products of human use. **Desirable:** (i) Three years' Administrative experience in handling skilled and unskilled labour; (ii) Diploma in Chemical Engineering and knowledge of fabrication of equipments; (iii) Three years' experience of Stores Accounting. **Note 1.** Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the	Not applicable

45.

	reasons to be recorded in writing, in case of candidate otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Schedules Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the Vacancies reserved for them.	

Period of Probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
One year.	By direct recruitment. Note 1: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Governments. (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.	Not applicable.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairman 2. Additional Director General, Directorate General of Health Services -Member 3. Director (Administration and Vigilance) Directorate General of Health Services -Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[No. A-12018/08/2014-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

सा.का.नि.122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय अनाज भंडारण संस्थान, हापुड़ (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969, एवं खाद्य विभाग, अन्न बचाओ अभियान संगठन (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1976, जहां तक उनका संबंध क्रमशः कनिष्ठ लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण अनुसंधान प्रभाग, अवर श्रेणी लिपिक वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 221.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, कारखाना प्रबंधक, भर्ती नियम, 2016, के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, कारखाना प्रबंधक, भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, कारखाना प्रबंधक, भर्ती नियम, 2016 में, -

(क) नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

(ख) अनुसूची के स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100 -177500 रुपये)" ;

[फा. सं. ए.-12018/12/2016-ईपीआई]

जी.के. पिल्लई, अवर सचिव

टिप्पण : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, कारखाना प्रबंधक, भर्ती नियम, 2016 को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड -3, उपखंड – (i), तारीख 9 जुलाई, 2016 में संख्यांक सा. का. नि. 121, तारीख 30 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 17th July, 2019

G.S.R. 221.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Factory Manager, Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Factory Manager, Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Factory Manager, Recruitment Rules,2016,-

(a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of posts, classification and level in pay matrix. -The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns(2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(b) in the Schedule, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-